भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4917
01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आपातकालीन कोविड अनुक्रिया योजना -II

4917. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और सम्पूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी), टेली-परामर्श सेवाओं, और आपातकालीन कोविड अनुक्रिया योजना - ॥ (ईसीआरपी-॥) के तहत की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति और प्रधान मंत्री आत्मानिर्भर स्वस्थ भारत योजना के संचालन की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एचडब्ल्यूसी, उपस्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में प्रदान की जाने वाली/प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार का संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर इन सेवाओं के वितरण को किस तरह सुविधाजनक बनाने का विचार है;

(घ) ईसीआरपी-॥ के तहत, आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों को स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित धनराशि और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा धनराशि के उपयोग की स्थिति क्या है; और

(ड) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने का. विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): "जन स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है, अतः जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को मजबूत बनाने तथा आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के कार्यान्वयन, टेली-परामर्श सेवाओं, आपात कोविड अनुक्रिया योजनाओं-II (ईसीआरपी- II) तथा प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (नया नाम-प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन) के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन और इनको चालू करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

बजट घोषणा 2017-18 के अनुसार, दिसंबर, 2022 तक 1.5 लाख उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी-ग्रामीण एवं शहरी) को आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के रूप में प्रचालित किए जाने का लक्ष्य है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल का उपयोग इनके प्रचालन की प्रगति की सूचना देने के लिए किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल में सूचित प्रगति के आधार पर मार्च, 2022 तक 1,10,000 एचडब्ल्यूसी के प्रचालन शुरू करने के लक्ष्य की तुलना में 1,12,843 एचडब्ल्यूसी प्रचालित किए गए हैं।

ईसीआरपी- II के लिए, स्वीकृत कार्यों की कार्य के संदर्भ में भौतिक प्रगति की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय और राज्य हिस्से के तहत निर्गत निधि के संबंध में वित्तीय प्रगति और उपयोग प्रमाणपत्रों की समीक्षा की जाती है।

(ग): सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक, उपशामक और पुर्नवासन पहलुओं को प्राप्त करने के लिए, आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) का उद्देश्य मातृ और बाल स्वास्थ्य दोनों सेवाओं में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तथा नि:शुल्क आवश्यक औषधियों और नैदानिक सेवाओं, जो सार्वभौमिक, नि:शुल्क तथा समुदाय के निकट हैं, के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की प्रदानगी करना है। एबी-एचडब्ल्यूसी में समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या दल उप-स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में औषधियों और नैदानिक सेवाओं के प्रावधान, टेली-परामर्श एवं सतत परिचर्या, अवसंरचना संवर्द्धन, सामुदायिक एकजुटता एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन, आईटी प्रणाली आदि के माध्यम से सेवाओं की प्रदानगी सुनिश्चित करते हैं।

(घ) और (ङ): "भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य तत्परता पैकेज-चरण II" (ईसीआरपी- II) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को केंद्रीय स्तर पर 12,741.19 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य पद्धति तैयारी पैकेज-चरण II के अंतर्गत एनएचएम के माध्यम से केंद्रीय आवंटन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्गत एवं व्यय के ब्यौरे **अनुलग्नक I** में दिए गए हैं।

ईसीआरपी- II के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि निर्गत करने के लिए प्रक्रिया को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक-I

एनएचएम के माध्यम से भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य पद्धति तैयारी पैकेज (ईसीआरपी) चरण II के अंतर्गत राज्यवार केंद्रीय आवंटन, निर्गत तथा व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	केंद्रीय आवंटन	निर्गत	व्यय
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.22	7.11	4.28
2.	आंध्र प्रदेश	417.91	417.91	272.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	149.13	63.87	37.69
4.	असम	731.22	657.04	206.38
5.	बिहार	1032.87	516.43	178.22
6.	चंडीगढ़	5.68	2.84	1.52
7.	छत्तीसगढ	376.07	376.07	54.42
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30.21	4.76	1.55
9.	दिल्ली	9.52	30.21	34.92
10.	गोवा	11.78	5.89	3.24
11.	गुजरात	479.22	239.61	213.33
12.	हरियाणा	182.42	182.42	107.46
13.	हिमाचल प्रदेश	344.79	203.87	61.27
14.	जम्मू और कश्मीर	407.3	211.04	96.04
15.	झारखंड	383.34	191.67	339.18
16.	कर्नाटक	504.04	252.02	202.99
17.	केरल	173.89	173.89	114.41
18.	लद्दाख	62.51	31.26	2.73
19.	लक्षद्वीप	1.49	0.74	0.73
20.	मध्य प्रदेश	874.35	874.35	445.25
21.	महाराष्ट्र	820.77	410.39	365.11
22.	मणिपुर	98.73	38.67	3.00
23.	मेघालय	104.12	82.74	35.78
24.	मिजोरम	61.25	19.93	13.54
25.	नगालैंड	77.6	28.11	3.39
26.	उड़ीसा	517.18	517.18	167.40
27.	पुदुचेरी	5.42	5.42	2.58
28.	पंजाब	198.89	198.89	174.39
29.	राजस्थान	883.37	425	275.24
30.	सिक्किम	41.05	19.67	6.62
31.	तमिलनाडु	479.59	479.59	535.78
32.	तेलंगाना	298.68	298.68	248.06
33.	त्रिपुरा	83.72	41.86	45.82
34.	उत्तर प्रदेश	1879.88	1,879.88	874.37
35.	उत्तराखंड	394.22	122.28	67.97
36.	पश्चिम बंगाल	604.76	604.76	422.77

नोट :

निर्गत निधि एनएचएम के तहत अनुमोदित केंद्र-राज्य निधियन के अनुरूप है और यह 08.03.2022 तक अद्यतन है।

दिनांक 29.03.2022 की स्थिति के अनुसार व्यय पीएमएस पोर्टल में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार है।

******